

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email: nraigarh@ymail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,

Fax no. 07762-2229923



क्रमांक 512/रा.वि./न.पा.नि./2018

रायगढ़ दिनांक 28/03/18

II सूचना II

नगर पालिक निगम रायगढ़ की परिषद के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 27.03.2018 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में वर्ष 2018-19 हेतु संपत्तिकर एवं अन्य करों का दर नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील किये जाने हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है :-

करों का विवरण निम्नानुसार है :- संपत्तिकर, समेकित कर एवं शिक्षा उपकर

जोन क्रमांक 01- रेल्वे फाटक से सुभाष चौक, हटरी चौक से मुरारी होटल होते हुये लक्ष्मीपुर चौक, ढिमरापुर चौक उर्दना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से रानी बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधक्का रोड। गांधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारो तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरुद्वारा रोड, नई सड़क। रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड नया गंज, शहीद चौक, केलो पुल होते हेमू कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रृंगार होटल से गौरीशंकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड मोड़ा कॉलोनी से गोदरी चौक। गद्दी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुंशी गली गांजा चौक। रानी बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुडी चौक घड़ी चौक थाना रोड थाना के चारो तरफ किरोडीमल कॉलोनी, घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड हंडी चौक, गौशाला रोड चारो तरफ। सत्तीगुडी चौक से कामर्स कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 02- बीड़पारा, सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। चोंदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किट हाउस तक। हेमू कॉलाणी चौक से कब्रिस्तान तक, सर्किट हाउस से उर्दना रोड। शहीद चौक से जूना बड़पारा, चोंदनी चौक होते बस स्टैण्ड, जंजघर रोड कोष्टापारा। एस. पी. बगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुडी चौक से बैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उड़ीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुड़ा रोड होते हुये सहदेवपाली रोड निगम सीमा तक। गोगा मंदिर से मिठठूमुड़ा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड से लकड़ी टाल होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुड़ा रोड टी.वी. टॉवर रोड पहाड़ मंदिर रोड, चक्रधर नगर से कसेरपारा होते हुये नूतन चौक तक, बोईरदादर चौक से विजयपुर रोड निगम सीमा तक। जोगीडीपा पुल से इंदिरानगर होते रामपुर रोड तक। गौशाला चौक से बैकुण्ठपुर रामभाठा डिपो रोड होते पुल तक। डिग्री कॉलेज से टी.वी.टॉवर रोड होते नगर निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 03- जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हों

जोन क्रमांक 04- जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हों
संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
	आवासीय			व्यवसायिक		
	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	16.00	9.00	14.00	19.00	11.00	15.00
02	14.00	7.00	12.00	17.00	9.00	12.00
03	7.00	3.00	6.00	9.00	5.00	7.00
04	5.00	2.00	4.00	7.00	3.00	5.00
05	निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर - भूमि 25.00 प्रति वर्गफीट, निर्मित भवन 40.00 प्रति वर्गफीट					

Use

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email: nraigarh@gmail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,

Fax no. 07762-2229923



वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-

1. वार्षिक भाड़ा मूल्य	6001 / -	से 20,000 / -	तक	-	6 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य	20,001 / -	से 50,000 / -	तक	-	8 प्रतिशत
3. वार्षिक भाड़ा मूल्य	50,001 / -	से 80,000 / -	तक	-	10 प्रतिशत
4. वार्षिक भाड़ा मूल्य	80,001 / -	से 1,00,000 / -	तक	-	12 प्रतिशत
5. वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,00,001 / -	से 1,50,000 / -	तक	-	15 प्रतिशत
6. वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,50,001 / -	से 2,00,000 / -	तक	-	18 प्रतिशत
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य	2,00,001 / -	से अधिक	-	-	20 प्रतिशत

शिक्षा उपकर :- प्रत्येक भूमि/भवनो का निर्धारण पश्चात संपत्तिकर की राशि में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा।

समेकित कर :- 1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से उपर 600.00 रु. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा।
2. शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनो पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा।

संपत्तिकर में छूट :-

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो तथा भवनो से संलग्न रिक्त भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेस) वार्षिक भाड़ा मूल्य के गणना के प्रयोजन से मुक्त होगी।
5. EWS मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी, समेकित कर एवं अन्य कर देय होगा।
6. 500 वर्गफीट तक के कच्चा मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी समेकित कर अन्य कर देय होगा।
7. धारा 137 के तहत वर्ष 2018-19 का संपत्तिकर **31 जुलाई 2018** तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, **31 अक्टूबर 2018** तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छूट के 31 मार्च 2019 तक देय होगा। 31 मार्च पश्चात सरचार्ज वार्षिक 6 प्रतिशत की दर से देय होगा।
8. चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति तक स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर संपत्तिकरदाता भवन स्वामी को एक हजार रुपये शारित अधिरोपित की जावेगी।

क्रमांक 02. भवन नामांतरण शुल्क:- प्रति 2000/-रु. एवं विधवा महिला अथवा पुत्र हेतु - 1000/- रु.

क्रमांक 03. दुकान किराया सरचार्ज:- मासिक किराया का 12 प्रतिशत माह के अंत में,

क्रमांक 04. विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क:- स्वयं के निजी भवन/भूमि पर लगे होर्डिंग बोर्ड 45/-प्रति वर्गफीट

अतः उपरोक्त कर वर्ष 2018-19 हेतु नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील किया जाता है।

आयुक्त

नगरपालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 513 / रा.वि. / न.पा.नि. / 2018

रायगढ़ दिनांक 22/03/18

प्रतिलिपि :-

1. माननीय महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष महोदय नगरपालिक निगम रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी राजस्व / प्रभारी बाजार, मेयर इन काउंसिल सदस्य, नगरपालिक निगम

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Email. nraigarh@gmail.com Website www.nagarnigamraigarh.com

Phone no. 07762-222911,

Fax no. 07762-2229923



3. निगम सचिव / कार्यालय अधीक्षक नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ ।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
5. श्री अमरजीत सिंह विरदी, स्टोरकीपर, नगरपालिक निगम रायगढ़ 30 हजार संपत्तिकर स्वनिर्धारण पत्रक प्रिंट कराकर राजस्व शाखा को अविलंब उपलब्ध करावें
6. संपादक साईज में अपने दैनिक समाचार के आगामी अंक में एक दिवसीय प्रकाशित कर देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।
7. सर्व संबंधित नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)